कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी, जिला – धमतरी (छ.ग.)

Website – www.nagarnigamdhamtari.org, Email ID – commissionerdhamtari@gmail.com, Phone/Fax No. 07722-241599

–:: वित्तीय वर्ष 2015–16 की शेष अवधि में विभिन्न निर्माण सामाग्रियों की आपूर्ति के लिए संशोधित निविदा शर्ते ::–

01. नगर पालिक निगम धमतरी द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 1093 दिनांक 26.10.15 तहत् विज्ञापित कार्य/सामाग्रियों की आपूर्ति के लिए निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों/ठेकेदारों/फर्मो का लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ही ठेकेदारी का पंजीयन होना अनिवार्य हैं।

02. पंजीकृत इच्छुक ठेकेदार/फर्म को निविदा प्रपत्र क्रय के लिए स्वहस्ताक्षरित आवेदन पत्र ओरिजनल लेटर हेड में प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में विधिवत् अधिकार पत्र के साथ आवेदन पत्र एवं अन्य वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

03. निविदा प्रपत्र क्रय के लिए आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेजों की स्व–सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

    01. वैध ठेकेदारी पंजीयन प्रमाण पत्र (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)।
    02. निर्धारित बैंक साल्वेंसी की प्रति (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)।
    03. वाणिज्य कर चुकता प्रमाण पत्र (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)।
    04. आयकर विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र/पेन कार्ड।
    05. स्थाई श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)।
    06. "स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिन ठेकेदारों द्वारा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य प्रारंभ कर लिया गया है, उन्हीं ठेकेदारों को उपरोक्त सामाग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र जारी किया जायेगा"। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य प्रारंभ करने के संबंध में संबंधित साईट इंजीनियर से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

    निर्धारित तिथि/समयावधि के उपरांत निविदा प्रपत्र क्रय हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें और न ही निविदा प्रपत्र विक्रय किये जायेगें।

04. विज्ञापित कार्य के लिए निविदा 03 लिफाफे में (निविदा प्रपत्र एवं अमानत राशि पृथक–पृथक) स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही निर्धारित समयावधि समय 03:00 बजे तक जमा करना होगा। अन्य रीति से एवं निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगा।

05. निविदा खोलने की कार्यवाही दौरान सर्वप्रथम अमानत राशि जमा वाला लिफाफा खोला जायेगा, निर्धारित अमानत राशि जमा पाये जाने के उपरांत ही मूल निविदा (निविदा प्रपत्र) जमा वाला लिफाफा खोला जायेगा। निर्धारित अमानत राशि जमा नहीं पाये जाने पर मूल निविदा (निविदा प्रपत्र) जमा वाला लिफाफा नहीं खोला जायेगा तथा संबंधित निविदाकर्ता का जमा/प्राप्त निविदा निरस्त माना जायेगा।

06. प्रत्येक कार्य/सामाग्री की आपूर्ति के लिए निर्धारित अमानत/मूल एफ.डी.आर. कार्यवार/सामाग्रीवार पृथक–पृथक जमा/प्रस्तुत करना अनिवार्य है, इससे अन्यथा प्रस्तुत अमानत/एफ.डी.आर. अमान्य किये जायेगें तथा संबंधित कार्य की निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। नकद राशि स्वीकार नहीं किया जावेगा।

07. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

08. निविदा/निविदा दर स्वीकृति हेतु अधिकृत पदाधिकारी (आयुक्त, नगर पालिक निगम धमतरी) का किसी भी निविदा/प्राप्त निविदा दर को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

09. निविदाकार/ठेकेदार को सामाग्रियों की आपूर्ति हेतु सामाग्रीवार निविदा दरें प्रति नग/प्रति किलो/प्रति घनमीटर में प्रस्तुत करना होगा। निविदा दरें शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा। काटा–पीटी, अस्पष्ट अथवा ओव्हर राईटिंग की हुई निविदा अस्वीकार की जावेगी।

10. प्राप्त निविदायें खोलने, निविदायें लिस्टिंग किये जाने के उपरांत सफल निविदाकार की जमा निविदा अमानत राशि/एफ.डी.आर. को छोड़कर शेष निविदाकारों की जमा अमानत राशि/एफ.डी.आर. वापस/रिलीज कर दी जायेगी। सफल निविदाकार की जमा अमानत राशि/एफ.डी.आर. संतोषप्रद ढ़ग से कार्य सम्पादन एवं कार्यानुबंध की अवधि समाप्ति उपरांत नियमानुसार वापसी योग्य होगी।

11. ठेकेदार को निविदा दर की स्वीकृति उपरांत कार्यालयीन सूचना अनुसार निर्धारित समयावधि 03 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यानुबंध निष्पादन करना होगा। निविदा दर प्रचलित बाजार दर से कम होने की स्थिति में निर्धारित अतिरिक्त सुरक्षा निधि राशि जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा कार्य के लिए संबंधित ठेकेदार/फर्म की जमा अमानत राशि राजसात कर सामाग्रियों की आपूर्ति हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

12. सामाग्री की आपूर्ति हेतु कार्यादेश राशि की उपलब्धता एवं सामाग्री की आवश्यकतानुसार जारी किया जायेगा तथा राशि उपलब्ध होने पर ही प्रदायित सामाग्री का देयक भुगतान किया जायेगा। सामाग्री की आपूर्ति निर्देशित स्थल में तथा कार्यादेश में उल्लेखित अवधि के भीतर ही किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि के भीतर सामाग्री की आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में देयक से यथोचित अर्थदण्ड/पेनाल्टी राशि कटौती किया जा सकेगा।

13. ठेकेदार/प्रदायकर्ता फर्म को सामाग्रियों की आपूर्ति संबंधित साईट इंजीनियर के दिशा निर्देश में निविदा/अनुबंध शर्तों, जारी कार्यादेश, निर्धारित मापदण्ड/गुणवत्ता के अनुसार करना होगा। निर्धारित गुणवत्ता/मापदण्ड के विपरित प्रदायित सामाग्री स्वीकार्य नहीं होगा और न ही उसका देयक भुगतान किया जायेगा।

14. सामाग्रियों की आपूर्ति/ठेके की अवधि वित्तीय वर्ष 2015–16 के शेष अवधि के लिए अनुबंध तिथि 31.03.2016 तक के लिए होगी। अनुबंध की अवधि आवश्यकतानुसार उभयपक्षों की सहमति से आगामी अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी, किन्तु ठेकेदार/प्रदायकर्ता फर्म द्वारा अनुबंध/कार्य की अवधि के दौरान कार्यादेश अनुसार सूचित/निर्धारित समयावधि के भीतर एवं संतोषप्रद ढ़ग से कार्य सम्पादन नहीं करने, सामाग्रियों की आपूर्ति नहीं करने, निविदा/अनुबंध शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में अनुबंध निरस्त कर सामाग्रियों की आपूर्ति हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

15. निविदा/सामाग्रियों की आपूर्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के आपत्ति/विवाद की स्थिति में विवाद के निराकरण के संबंध में आयुक्त, नगर पालिक निगम धमतरी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम धमतरी